

म्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 44 / 2019

आरसीएमएस नम्बर- 2019 / 00113

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
किरण कागट, सरपंच ग्राम पंचायत चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली	1	श्री कल्याण नवयुवक संस्थान, चण्डावल जरिये अध्यक्ष तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :-

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।



—: निर्णय :-

दिनांक 30/09/19

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 35 / 1995-96 में पारित प्रस्ताव संख्या 05 (18) दिनांक 05.10.2002 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 409 दिनांक 05.10.2002 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई।


विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में सरपंच हैं। अप्रार्थी द्वारा तत्कालीन सरपंच से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरुद्ध है। जैर निगरानी विवादित आराजी सार्वजनिक भूमि है, जिसका व्यक्ति अथवा संस्था विशेष के नाम पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। विवादित भूमि के मौके पर अप्रार्थी का किसी भी रूप में कब्जा नहीं है, गलत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें पंचायती राज नियम 1996 के किसी भी प्रावधान की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम में व्यायाम शाला निर्मित है। उक्त व्यायामशाला की भूमि का प्रार्थी संस्थान के पक्ष में पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण एवं नक्शा तैयार करने हेतु आदेश पारित किए। इसके पश्चात विधिक प्रावधानों की पालना किए बिना ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए। चूंकि आवेदन पत्र के अनुरूप ही उक्त भूमि सार्वजनिक

आति. किरण कागट, पाली

भूमि थी, जिसे किसी व्यक्ति अथवा संस्था विशेष के पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जबकि उक्त संस्था/समिति कभी भी अस्तित्व में नहीं थी। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।


बहस पर मनन किया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया। रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि कल्याण नवयुवक संस्थान, चण्डावल नगर द्वारा जरिये अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यायामशाल की भूमि का पट्टा समिति के नाम से जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 35/1995-96 कायम करते हुए नक्शा एवं मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए गए। निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा के जरिये अप्रार्थी समिति के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए, जो विधि विरुद्ध हैं, क्योंकि समिति के पक्ष में उक्त भूमि को लेकर किसी प्रकार का स्वत्व का दस्तावेज ही नहीं था, जो पट्टा जारी कराने में सहायक सिद्ध हो सके। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी समिति के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध होने से किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 35/1995-96 में पारित प्रस्ताव संख्या 05 (18) दिनांक 05.10.2002 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 409 दिनांक 05.10.2002 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत चण्डावल नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।


(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)

अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 30/09/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)

अति. जिला कलक्टर, पाली

आत. जिला कलक्टर, पाली

